लैंगिकता हेतु समाजीकरण में परिवार की भूमिका
(Role of Family in Gendered Socialization)

समाज में जाति, भाषा, धर्म, रंग, प्रजाति, देश, जन्मस्थान आदि के आधार पर मनुष्य, मनुष्यों से भेदभावपूर्ण व्यवहार सदियों से करता आया है। इसी प्रकार का एक भेदभाव है लैंगिकता को लेकर किया जाने वाला भेदभाव। स्त्री-पुरुष दोनों ही ईश्वर की अमूल्य कृतियाँ हैं या यूँ कहें कि एक व्यक्ति की दोनों आँखों के समान हैं, फिर भी स्त्रियों को सदैव पुरुषों की अपेक्षा नीचा समझा जाता है, उनसे सम्मानपूर्ण तथा बराबरी का व्यवहार नहीं किया जाता है। चूँकि कोई भी व्यक्ति के विचारों, आदर्शों, मान्यताओं तथा दृष्टिकोणों की नींव परिवार में पड़ती है। अतः इस ज्वलन्त समस्या का समाधान भी पारिवारिक पृष्ठभूमि में खोजने का प्रयास इन बिन्दुओं के अन्तर्गत किया जा रहा है—

(1) सर्वांगीण विकास का कार्य
(2) समानता का व्यवहार
(3) समान शिक्षा की व्यवस्था
(4) उदार दृष्टिकोण का विकास
(5) बालिकाओं के महत्त्व से अवगत कराना।
(6) साथ-साथ रहने, कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास।
(7) पारिवारिक कार्यों में समान सहभागिता।
(8) हीनतायुक्त शब्दावली का प्रयोग निषेध।
(9) सामाजिक वातावरण में बदलाव।
(10) अन्धविश्वासों तथा जड़ परम्पराओं का बहिष्कार।
(11) उच्च चरित्र तथा व्यक्तित्त्व का निर्माण।
(12) व्यावसायिक कुशलता की शिक्षा।
(13) जिम्मेदारियों का अभेदपूर्ण वितरण।
(14) आर्थिक संसाधनों पर एकाधिकार की प्रवृत्ति का समापन।
(15) बालिकाओं को आत्म-प्रकाशन के अवसरों की प्रधानता।
(16) सशक्त बनाना।

Scanned with CamScanner

इनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है—

(1) सर्वांगीण विकास का कार्य—सर्वांगीण विकास से तात्पर्य है शरीर, मन तथा बुद्धि का समन्वयकारी विकास। परिवार को अपने सभी बच्चे, चाहे वे लड़की हो या लड़के, सर्वांगीण विकास के प्रयास का कार्य करना चाहिए जिससे उनमें किसी भी प्रकार की हीनता का भाव न पनप सके। जिन बालकों का सर्वांगीण विकास नहीं होता, उनमें हीनता की भावना व्याप्त रहती है और वे विकृत मानसिकता के शिकार होकर लैंगिक भेदभावों को जन्म देते हैं तथा महिलाओं के प्रति संकीर्ण विचार रखते हैं।

(2) समानता का व्यवहार—परिवार में यदि लड़के-लड़कियों के प्रति समानता का व्यवहार किया जाता है तो ऐसे परिवारों में लिंगीय भेदभाव कम होते हैं। समानता के व्यवहार के अन्तर्गत लड़कियों तथा लड़कों को पारिवारिक कार्यों में समान स्थान, समान शिक्षा, रहन-सहन और खान-पान की सुविधाएँ प्राप्त होनी चाहिए, जिससे प्रारम्भ से ही बालकों में श्रेष्ठता का बोध स्थापित न हो और वे बालिकाओं और भविष्य में महिलाओं के साथ समान व्यवहार करेंगे। पारिवारिक सदस्यों को चाहिए कि वे लिंगीय टिप्पणियों, भेदभाव तथा शाब्दिक निन्दा और दुर्व्यवहार कदापि न करें, क्योंकि बालक जैसा देखता है वह वैसा ही अनुकरण करता है। इस प्रकार परिवार में किया जाने वाला समानता का व्यवहार लैंगिक भेदभावों को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है।

(3) समान शिक्षा की व्यवस्था—परिवारों में प्रायः देखा जाता है लड़के-लड़कियों की शिक्षा-व्यवस्था में असमानता का व्यवहार किया जाता है, जिससे लड़कियाँ उपेक्षित और पिछड़ी रह जाती हैं। लड़कियों की शिक्षा की व्यवस्था भी उत्तमकोटि की करनी चाहिए, परन्तु पैसे इत्यादि की समस्याओं के कारण लड़कियों की रुचियाँ इत्यादि के अनुरूप शिक्षा-व्यवस्था नहीं मिल पाती है, जिससे वे स्वावलम्बी नहीं बन पाती हैं। अतः लैंगिक भेदभाव को कम करने के लिए लड़कों के समान ही लड़कियों की शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे लड़के-लड़की के मध्य भेदभाव में लड़कियों की शैक्षिक स्थित उन्नत होने से सुधार आयेगा।

(4) उदार दृष्टिकोण का विकास—परिवारों में महिलाओं और लड़कियों के प्रति संकीर्ण दृष्टिकोण बरता जाता है। पारिवारिक कार्यों तथा महत्त्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेते समय महिलाओं की राय पूछी तक नहीं जाती है और यही भाव परिवार की भावी पीढ़ियों में भी व्याप्त हो जाता है। महिलाओं को कठोर सामाजिक और पारिवारिक प्रतिबन्धों में रहना पड़ता है। यदि उनसे कोई चूक हो जाये तो कठोर दण्ड दिये जाते हैं।। इस प्रकार परिवार के सदस्यों तथा रीति-रिवाजों एवं परम्पराओं में महिलाओं के प्रति उदार दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए। इस प्रकार महिलाओं को भी समुचित स्थान और सम्मान मिलेगा तथा उनको समानता का अधिकार मिलेगा।

(5) बालिकाओं के महत्त्व से अवगत कराना—परिवार को चाहिए कि वह अपने बालकों को बालिकाओं के महत्त्व से परिचित कराये जिससे वे इनका धाक जमाने के बजाय सम्मान करना सीखें। बालिकाएँ ही बहन, माता, पत्नी आदि हैं और इन रूपों की उपेक्षा करके पुरुष का जीवन अपूर्ण रह जायेगा।

(6) साथ-साथ रहने, कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास—परिवार परस्पर सहयोग की नींव डालता है अपने सदस्यों में, जिससे स्त्री-पुरुष के मध्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता है, क्योंकि कार्य-सम्पादन में दोनों ही एक-दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। साथ-साथ कार्य करने की प्रवृत्ति के द्वारा महिलाओं की महत्ता स्थापित होती है जिससे लैंगिक भेदभावों में कमी आती है।

(7) पारिवारिक कार्यों में समान सहभागिता—परिवार को अपने सभी सदस्यों की रुचि के अनुरूप कार्यों में सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए, न कि लिंग के आधार पर। अधिकांश परिवारों में लड़कों और लड़कियों के लिए कार्यों का एक दायरा बना दिया जाता है जो उचित है। इससे लड़कियाँ कभी भी

Scanned with CamScanner

बाहरी दुनिया और बाह्य कार्यों को कर नहीं पाती है और उन्हें इस हेतु अयोग्य समझा जाता है और बाहरी कार्यों को करने में स्वयं भी असहज महसूस करने लगती है।

(8) **हीनतायुक्त शब्दावली का प्रयोग निषेध**—परिवार में भाषा का प्रयोग कैसा हो रहा है, इसका प्रभाव भी लैंगिक भेदभावों पर पड़ता है। कुछ परिवारों में लड़कियों और महिलाओं के लिए हीनतायुक्त शब्दावली का प्रयोग किया जाता है जिससे वे हीन भावना की शिकार हो जाती हैं और बालकों का आत्मविश्वास बढ़ता है। वे भी बालिकाओं को सदैव हीन समझकर उनके लिए हीनतायुक्त शब्दावली का प्रयोग करते हैं, जिससे लैंगिक भेदभावों को बढ़ावा मिलता है।

(9) **सामाजिक वातावरण में बदलाव**—परिवार को चाहिए कि वह लड़के-लड़की में किसी भी प्रकार का भेदभाव न करें। ऐसी सामाजिक परम्पराएँ जिसमें लड़कियों के प्रति भेदभाव किया जाता है और जिनकी सामाजिक स्थिति में ह्रास आता हो, ऐसी स्थितियों में परिवार को बदलाव लाने की पहल करनी चाहिए। परिवार से ही सामाजिक वातावरण को सुधारा जा सकता है, क्योंकि समान परिवार का समूह होता है। इस प्रकार परिवार को लैंगिक भेदभावों तथा महिलाओं की उन्नत स्थिति हेतु कृतसंकल्प होना चाहिए जिससे सामाजिक कुरीतियों और भेदभावपूर्ण व्यवहार की समाप्ति की जा सके।

(10) **अन्धविश्वासों तथा जड़ परम्पराओं का बहिष्कार**—लड़के ही वंश चलाते हैं, वे ही नरक से पिता को बचाते हैं, पैतृक कर्मों तथा सम्पत्तियों को वही संचालित करते हैं, पुत्र ही अंत्येष्टि तथा पिण्डदान इत्यादि कार्य करते हैं। इस प्रकार के कई अन्धविश्वास और जड़ परम्पराएँ परिवारों में मानी जाती है। अतः इन परम्पराओं और विश्वासों को तार्किकता की कसौटी पर कसना चाहिए। यदि परिवार इन जड़ परम्पराओं, अन्धविश्वासों और कुरीतियों के प्रति जागरूक हो जाये तो स्त्रियों की स्थिति स्वतः उन्नत हो जायेगी।

(11) **उच्च चरित्र तथा व्यक्तित्व का निर्माण**—परिवारों को चाहिए कि वे अपनी संततियों के उच्च चरित्र तथा सुदृढ़ व्यक्तित्व निर्माण पर बल दें। उच्च चरित्र और व्यक्तित्व-सम्पन्न व्यक्ति अपने अस्तित्व के साथ-साथ सभी के अस्तित्व का आदर करता है। स्वामी विवेकानन्द, महात्मा गाँधी आदि उच्च चरित्र तक सुदृढ़ व्यक्तित्व वाले नायकों ने स्त्रियों की समानता पर बल दिया। इस प्रकार चारित्रिक और व्यक्तित्व के विकास के द्वारा परिवार लैंगिक भेदभावों में कमी करने का प्रयास कर सकते हैं।

(12) **व्यावसायिक कुशलता की शिक्षा**—परिवार को चाहिए कि वह अपने सभी सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी व्यावसायिक कुशलता की उन्नति हेतु प्रयास करें। यह शिक्षा परिवार द्वारा औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों ही प्रकार से प्राप्त कराने का प्रबन्ध किया जा सकता है। जब परिवार के सभी सदस्य अपने-अपने कार्यों में संलग्न रहेंगे तो उनके विचारों और सोच में गतिशीलता आयेगी जिससे लैंगिक भेदभावों में कमी आयेगी।

(13) **जिम्मेदारियों का अभेदपूर्ण वितरण**—परिवार में स्त्री-पुरुष, लड़के-लड़कियों के मध्य लिंग के आधार पर भेदभाव न करके सभी प्रकार की जिम्मेदारियाँ बिना भेदभाव के प्रदान करनी चाहिए, जिससे लैंगिक भेदभाव की बात तक भी दिमाग में न आये।

(14) **आर्थिक संसाधनों पर एकाधिकार की प्रवृत्ति का समापन**—परिवार को चाहिए कि वह आर्थिक संसाधनों का इस प्रकार प्रबन्धन और वितरण करे कि स्त्री-पुरुष में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न रहे। पिता की सम्पत्ति में हमारे यहाँ पुत्र का अधिकार तो समझा जाता है, परन्तु पुत्रियों का कोई भी अधिकार नहीं समझा जाता, जिससे वे सदैव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर हो जाती है। इस प्रकार आर्थिक संसाधनों पर वर्ग के एकाधिकार की समाप्ति का परिवार लैंगिक भेदभावों को समाप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं।

Scanned with CamScanner